कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ0ग0)

// विविध आदेश //

क्रमांक : 35/नेशनल लो. अ./जि.वि.से.प्रा./2026 रायपुर, दिनांक : 09/07/2026

दिनांक 18/07/2026 को आयोजित स्पेशल लोक अदालत में धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के मामलों पर प्रकरणों की नियमित सुनवायी करने वाले न्यायालयों तथा धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रकरणों की अपील/पुनरीक्षण की सुनवाई करने हेतु निम्नानुसार खण्डपीठ का गठन किया जाता है :–

जिला न्यायालय रायपुर में धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रकरणों की अपील/पुनरीक्षण के निराकरण हेतु गठित खंडपीठ

स.क्र. (1)	खण्ड पीठ क्र. (2)	न्यायाधीश का नाम एवं खंडपीठ की वी.सी.लिंक (3)	सदस्यों के नाम (4)
01	1	श्री जितेन्द्र प्रधान, चतुर्दश अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर https://meet.jit.si/raipur1	1. सुश्री/श्रीमती कल्पना सोना अधि. Mob.No. 79994-70572 2. श्रीमती तृष्णा गोस्वामी, अधि. Mob.No. 93405-37951

जिला न्यायालय रायपुर में धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के नियमित प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित खंडपीठ

02	2	श्रीमती गीता ब्रिज **चतुर्थ** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, रायपुर https://meet.jit.si/raipur2	1. श्री लिंकेश कुमार चंद्राकर, अधि. Mob.No. 81036-55066 2. श्री शिवम बिल्थरे, अधि. Mob.No. 87700-06997
03	3	श्री विवेक केरकेट्टा **अष्टम** व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी रायपुर https://meet.jit.si/raipur3	1. सुश्री प्राची शर्मा अधि. Mob.No. 75872-30299 2.श्रीमती मोनिका पटेरिया तिवारी, अधि. Mob.No. 97531-16424
04	4	श्री क्रांति कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश रायपुर https://meet.jit.si/raipur4	1. श्रीमती खुश्बु ब्रम्हा, अधि. Mob.No. 82360-49311 2. सुश्री शिखा सोनी, अधि. Mob.No. 99811-45177
05	5	कु.श्वेता ठाकुर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रायपुर https://meet.jit.si/raipur5	1.श्रीमती शारदा पांडे, अधि. Mob.No. 79997-73017 2. श्री मृणमय वर्धन, अधि. Mob.No. 70001-64842
06	6	श्री प्रवीण कुजूर , पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी रायपुर https://meet.jit.si/raipur6	1. श्रीमती अनिता यादव, अधि. Mob.No. 88397-65829 2.श्रीमती रीना साहू, अधि. Mob.No. 88789-99130
07	7	**श्री विकास खांडे प्रथम** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रायपुर https://meet.jit.si/raipur7	1. श्री अजय बाजपेई, अधि. Mob.No. 94790-81000 2. श्री महेश तांडी, अधि. Mob.No. 91313-31392

08	8	सुश्री दीक्षा देशलहरे, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी रायपुर https://meet.jit.si/raipur8	1. नीलम बरेठ, अधि. Mob.No. 91316-50950 2. सुधा राय, अधि. Mob.No. 75877-77687
09	9	श्रीमती सावित्री रक्सेल द्वादश व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी रायपुर https://meet.jit.si/raipur9	1. रितु राजपूत अधि. Mob.No. 88893-03102 2. कु.सरिता कुर्रे, अधि Mob.No. 62603-34311
10	10	कु. मानसी बिष्ठ, पंचदश व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी रायपुर https://meet.jit.si/raipur10	1. श्री चंद लोक मिश्रा, अधि. Mob.No. 87709-94729 2. निशा गोडबोले, अधि. Mob.No. 94791-21910
11	11	कु. श्रद्वा भगत, **प्रथम** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी न्यायालय के चतुर्दश अतिरिक्त न्यायाधीश रायपुर https://meet.jit.si/raipur11	1. कु. शारदा चौहान, अधि. Mob.No. 70675-66501 2. श्री खिलानंद साहू, अधि. Mob.No. 94242-19188
12	12	श्री चंद्र प्रताप सिंह, **प्रथम** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी न्यायालय के दशम अतिरिक्त न्यायाधीश रायपुर https://meet.jit.si/raipur12	1. मधु बाला वर्मा, अधि. Mob.No. 93017-47776 2. कु. नेहा तिवारी, अधि. Mob.No. 74152-74523
13	13	सुश्री प्रीति पालीवाल, **प्रथम** व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी न्यायालय के एकादश अतिरिक्त न्यायाधीश रायपुर https://meet.jit.si/raipur13	1. रितु श्रीवास, अधि. Mob.No. 93432-66007 2. श्रीमती प्रतिमा ठाकुर, अधि. Mob.No. 88601-99685

टीप :– [1] **समस्त विशेष न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, जिनकी लोक अदालत में खण्डपीठ नहीं बनायी गयी है उन सभी न्यायालय के दिनांक 18/07/2026 को स्पेशल लोक अदालत हेतु नियत धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के प्रकरणों की अपील/पुनरीक्षण की सुनवाई व निराकरण खण्डपीठ क्रमांक (01) श्री जितेन्द्र प्रधान, चतुर्दश अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा की जावेगी।**

[2] कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट/व्यवहार न्यायाधीश प्रसूति अवकाश, लघुकृत अवकाश या अन्य अवकाश पर जाता है अथवा किन्ही परिस्थितियों में खंडपीठ (न्यायालय) के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप उक्त खण्डपीठ/न्यायालय में रखे गये प्रकरणों की सुनवाई एवं प्रकरणों का निराकरण तत्समय संबंधित न्यायालय/खण्डपीठ में प्रभावशील (दांडिक मामले) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य विभाजन आदेश के अनुसार किया जावे।

[3] Specile Lok Adalat हेतु ऊपर वर्णित एवं गठित खण्डपीठ में नामित सदस्यगण सर्वप्रथम प्रातः 10.15 बजे तक आवश्यक रूप से अपनी उपस्थिति कार्यालय में दर्ज करायेंगे पश्चात् संबंधित खण्डपीठ में सेवा प्रदान करने उपस्थित होंगे। अन्यथा की स्थिति में नामित सदस्य का नाम संबंधित खण्डपीठ से स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारण से सदस्य उपस्थित नहीं हो पा रहे हों तो इस आशय की सूचना दिनांक 17/08/2026 के दोपहर 02: 00 p.m. बजे तक इस कार्यालय (DLSA, रायपुर) को देंगे ताकि उनके स्थान पर संबंधित खण्डपीठ में किसी अन्य सदस्य को नामित किया जावे। **खंडपीठ हेतु नामित अधिवक्तागण के अनुपस्थित रहने की स्थिति में पैनल अधिवक्ता हेतु तैयार सूची में से चक्रानुक्रम में उपलब्ध अन्य अधिवक्ता को उक्त खंडपीठ हेतु नामित किया जावे।**

[4] समस्त खंडपीठ स्पेशल लोक अदालत की जानकारी स्पेशल लोक अदालत के दिन समय 5.00 बजे के पूर्व तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के कार्यालय में प्रेषित हेतु संबंधित को

निर्देशित कर निर्धारित प्रारूप में दी जानेवाली जानकारी की जांच स्वयं पीठासीन अधिकारी करेंगे। जानकारी समय पर न दिये जाने पर और अपूर्ण होने पर अविलंब उस खंडपीठ की सूचना माननीय अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश महोदय को प्रदान की जायेगी।

[5] प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जावे कि समस्त खंडपीठों की हाईब्रिड स्पेशल लोक अदालत हेतु लिंक तैयार कर जिला एवं सत्र न्यायालय के कार्यालयीन वेबसाईड पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

[6] उक्त आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग एवं कम्प्युटर अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

(माननीय अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित)

सही/–
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायपुर (छ0ग0)